प्रेस नोट

जनपद मुजफ्फरनगर

दिनांक 10.10.2024

➢ **थाना सिखेड़ा पुलिस द्वारा 02 वारन्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार-**

दिनांक 10.10.2024 को थाना जानसठ पर नियुक्त उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह मय हमराहीगण द्वारा वाद सं0- 1617/9/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम में वारन्टी अभियुक्त जगजीत उर्फ जग्गा पुत्र स्व0 लक्खी निवासी ग्राम भन्डूर थाना सिखेड़ा, मुजफ्फरनगर तथा वाद सं0- 1165/23 द्वारा 135 ईसीएक्ट में वारन्टी अभियुक्त सलीम पुत्र शरीफ निवासी ग्राम भन्डूरा थाना सिखेड़ा, मुजफ्फरनगर को अभियुक्तगण के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

➢ **थाना जानसठ पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त गिरफ्तार-**

दिनांक 10.10.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री लक्ष्मण सिंह थाना जानसठ मय हमराहीगण द्वारा वाद सं0- 1297/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम में वारन्टी अभियुक्त अंकुर पुत्र बिल्लु निवासी ग्राम चिन्दौड़ा थाना जानसठ, मुजफ्फरनगर को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

➢ **थाना भोपा पुलिस द्वारा 01 माह की बच्ची की हत्या करने वाले दंपति गिरफ्तार-**

दिनांक 10.10.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना भोपा श्री नोवेन्द्र सिंह मय हमराहीगण द्वारा अपनी 01 माह की बच्ची की हत्या करने वाले पति-पत्नि गोपाल पुत्र राजपाल तथा ममता पत्नि गोपाल निवासीगण ग्राम बेलड़ा थाना भोपा, मुजफ्फरनगर को ग्राम बेलड़ा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे/निशांदेही से मृतका बच्ची के कपडे तथा शव को फेंकने में प्रयुक्त 01 मोपेड तथा 01 साइकिल बरामद की गयी। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना भोपा पलिस द्वारा मु0अ0सं0 249/2024 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा 43 वर्ष से फरार व मफरूर ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार-**

दिनांक 10.10.2024 को थाना प्रभारी नई मण्डी श्री दिनेश सिंह मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0- 17/1981 धारा 382/511/401 भादवि में फरार व मफरूर तथा 10 हजार के इनामी अभियुक्त इनाम पुत्र बाला शेख उर्फ बाला कसाई उर्फ बाल्ला उर्फ अब्दुल करीम निवासी अबुपुरा थाना कोतवाली नगर हाल निवासी मौहल्ला कस्सावान थाना खालपार, मुजफ्फरनगर को कम्पनी गार्डन के पास से गिरफ्तार किया गया।

- **थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा 250 किग्रा0 अवैध पटाखे सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

दिनांक 10.10.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना नई मण्डी श्री दिनेशचन्द मय हमराहीगण द्वारा अवैध पटाखे विक्रेता अभियुक्त निशान्त जैन पुत्र विजय कुमार जैन निवासी म0न0 167 आदर्श कालोनी थाना नईमण्डी को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशांदेही से 250 किग्रा0 अवैध पटाखे बरामद किये गये। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 472/2024 धारा 288/125 बीएनएस व 5/9ख,1(ए) विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत किया गया है।